

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक. एफ 7 (4) अकाद/निकाशि/राजभाषा/05/ 401

दिनांक 11-9-2013

समस्त प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय/ गैर सरकारी महाविद्यालय

राजस्थान

विषय :- हिन्दी दिवस (14 सितम्बर 2013) पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन बाबत।

सन्दर्भ :- भाषा एवं पुस्तकालय विभाग का पत्र क्रमांक प. 19 (1) निभाणुवि/जय/हिन्दी दिवस /2013/1 दिनांक 22.8.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के निर्णय अनुसार 14 सितम्बर को प्रतिवर्ष केन्द्र व राज्य सरकार के सभी विभागों / अर्द्धसरकारी सस्थानों आदि के द्वारा अपने यहां हिन्दी दिवस समारोह के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा नीति की अनुपालना तथा हिन्दी प्रयोग को प्रशासन के हर क्षेत्र में लागू करने के उद्देश्य से दिनांक 13.9.2013 से 19.9.2013 तक हिन्दी सप्ताह आयोजित कर भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के पत्र दिनांक 22.8.2013 की पालना सुनिश्चित करें। इस अवधि में आपके यहां आयोजित कार्यक्रमों की सूचना एवं रिपोर्ट निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग को भिजवाते हुए इस विभाग को भी सूचित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

अतिरिक्त निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

जयपुर

क्रमांक. एफ 7 (4) अकाद/निकाशि/राजभाषा/05/ 401

दिनांक 11-9-2013

प्रतिलिपि -

श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता एवं वेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

जयपुर

राजस्थान सरकार
भाषा एवं पुस्तकालय विभाग

क्रमांक: प.19(1)निभापुत्रि/जय/हिन्दी दिवस/13/

जयपुर, दिनांक

समस्त अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
समस्त संभागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर

परिपत्र

विषय -- हिन्दी दिवस (14 सितम्बर 2013) पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन।

आपको विदित है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के निर्णयानुसार 14 सितम्बर को प्रतिवर्ष केन्द्र व राज्य सरकार के सभी विभागों/अर्द्ध सरकारी संस्थानों आदि के द्वारा अपने यहाँ हिन्दी दिवस समारोह के रूप में उत्साहपूर्वक मनाने की परम्परा है।

राजस्थान हिन्दी भाषी प्रदेश है एवं इसकी राजभाषा हिन्दी है अतः यह आवश्यक है कि इस दिन राज्य के समस्त विभागों/कार्यालयों/अर्द्ध सरकारी संस्थानों एवं राज्य के समस्त शैक्षणिक संस्थानों ने हिन्दी दिवस का आयोजन उत्साहपूर्वक किया जाए। इस संबंध में माननीय मुख्य सचिव की ओर से एक परिपत्रादेश समसंख्यक क्रमांक प.3(82)भापुत्रि/रचना/2000/4419-1909 दिनांक 22.08.2000 को जारी किया गया था।

अतः आप सभी अधिकारीगण से आग्रह है कि प्रदेश में हिन्दी के प्रयोग के प्रति सुखद वातावरण सृजित करने एवं हिन्दी प्रयोग के लिए संकल्पबद्ध होकर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हिन्दी दिवस के अवसर पर आपके विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों/समस्त शैक्षणिक संस्थानों में हिन्दी दिवस पर समारोह पूर्वक कार्यक्रम यथा हिन्दी से संबंधित विचार गोष्ठी, निबन्ध लेखन, काला गोष्ठी, वाद-विवाद प्रतियोगिता, श्रुतिलेखन, हिन्दी टंकण प्रतियोगिता या इसी तरह के साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित कर हिन्दी के प्रति विशेष आस्था, निष्ठा एवं समर्पण की भावना का परिचय दें।

आप इस तथ्य से भी अवगत हैं कि हिन्दी दिवस (14 सितम्बर) को भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की ओर से राज्य स्तरीय हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन जयपुर में किया जाता है। कृपया इस संबंध में अपने विभागों/अर्द्ध सरकारी संस्थानों एवं शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्त राजभाषा संपर्क अधिकारी को भी इस राज्य स्तरीय समारोह में सम्मिलित होने के लिए निर्दिष्ट करें ताकि हिन्दी प्रयोग के संवर्द्धन हेतु किये जा रहे प्रयासों की उन्हें जानकारी हो सके तथा विभाग द्वारा प्रकाशित प्रकाशन आपके कार्यालय में उपलब्ध हो सकें।

हिन्दी दिवस के अवसर पर आपके विभाग/कार्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं में जो कार्यक्रम आयोजित किये जाएं उसकी सूचना एवं रिपोर्ट निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, डॉ. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, ब्लॉक -8, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर को भिजवाई जावे तथा इन कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार राजभाषा पत्रों के माध्यम से भी किया जाए। सम्पूर्ण प्रदेश में हिन्दी प्रयोग के सुखद वातावरण के सृजन के लिए आपका सक्रिय सहयोग अपेक्षित है।

(वीनू गुप्ता)

प्रमुख शासन सचिव

शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय

जयपुर, दिनांक

क्रमांक: प.19(1)निभापुत्रि/जय/हिन्दी दिवस/13/ 3589-38
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूच्यार्थ एवं आदर्शक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, महामहिम राजस्थान महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्री।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर। समस्त उप सचिव।
5. समस्त प्रबंध निदेशक, निगम/स्वायत्तशासी संस्थान /मंडल /उपक्रम।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
8. निबन्धक, राजस्थान राजस्व मंडल, अजमेर।
9. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
10. समस्त अधिकारीगण।
11. समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय।

(रश्मि गुप्ता)

निदेशक एवं

पढ़ने शासन उप सचिव

पता: ब्लॉक 8, डॉ. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

दूरभाष नम्बर-0141-2703387 (फैक्स), 2703390

ई-मेल आई.डी.-Directorlibraries@gmail.com